मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 06.06.2012 को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्य–कलापों की समीक्षा संबंधी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः यथा संलग्न।

2. सर्वप्रथम दिनांक 07–05–2012 को हुई समीक्षा बैठक की कार्यवाही के विभिन्न बिन्दुओं पर कृत कार्रवाई की विस्तार से चर्चा की गयी। उक्त क्रम में निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निम्नलिखित जानकारियाँ दी गयीः–

2.1 सम्हा अक्खा खुरा (जिला–बेगूसराय) के विद्युत उपकेन्द्र के लिए भू–अर्जन की धारा 7/17 का प्रस्ताव माननीय राजस्व मंत्री के यहाँ अनुमोदन हेतु भेजा गया है तथा शीघ्र ही राज्यादेश जारी हो जायगा।

2.2 चौसा (जिला–बक्सर) के एक गाँव, जिसके भू–अर्जन के उपरान्त कुछ किसान भूमिहीन हो जायेंगे, में अतिरिक्त भूमि की अधियाचना नक्शा आदि की अनुपलब्धता के कारण नहीं की जा सकी है। इसके लिए शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है।

2.3 काँटी विद्युत उत्पादन निगम लि0 के Ash Dyke के लिए 336.25 एकड़ निजी जमीन के अधिग्रहण के लिए चार गाँवों के लगभग 240 एकड़ जमीन का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। शेष भुगतान के लिए 30.06.2012 का लक्ष्य रखा गया है।

2.4 वर्त्तमान में मुजफ्फरपुर के जिला भू–अर्जन अधिकारी dual charge में हैं जिसके कारण भुगतान की प्रगति संतोषजनक नहीं है। जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्राथमिकता पर बचे हुए भुगतान के मामलों के निष्पादन के लिए अपेक्षित निगरानी रखी जानी है।

2.5 बोचहा तथा साहेबगंज में विद्युत उपकेन्द्र की धारा 7/17 की राज्यादेश लम्बित है। इस पर जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा, दिनांक 16.06.2012 को ट्रेनिंग से वापस आने के तुरत बाद कार्रवाई की जानी है।

2.6 सोनबरसा (जिला सहरसा) के विद्युत उपकेन्द्र की धारा 7/17 का राज्यादेश 10 दिन पहले जारी कर दिया गया है।

2.7 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी परियोजना के लिए पूरी जमीन की अधियाचना एक साथ दायर की जानी चाहिए तथा पूरे प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत सक्षम अधिकारी का

अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए, ताकि भूमि अधिग्रहण में व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न न हो।

2.8 दंडारी (बेगूसराय जिला) में उपकेन्द्र के लिए धारा 4/6 का प्रस्ताव दिनांक 08.06.2012 तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा स्वीकृत कर दिया जायगा।

2.9 औराई (जिला मुजफ्फरपुर) के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अधियाचना भेजी जा चुकी है। धारा 4/6 की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव अविलम्ब जिला प्रशासन द्वारा process किया जाना है।

2.10 कानन (रक्सौल) के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कालातीत हो जाने के कारण निये सिरे से process किया जाना है। इस संबंध में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पुनः अधियाचना की जानी है। मामले का कालातीत होने के लिए संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जानी है।

2.11 नबीनगर पावर जेनरेटिंग कम्पनी के मेन प्लान्ट एरिया के लगभग 258 एकड़ जमीन में से 149.72 एकड़ का कब्जा मिल चुका है। शेष जमीन में से लगभग 22 एकड़ का अधिग्रहण कोर्ट मामला के कारण लम्बित है तथा 87.04 एकड़ बकास्त जमीन, जिसका रैयतीकरण नहीं किया जा सका है, उसे सरकार द्वारा हस्तानान्तरित किया जाना है। जिलाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा अविलम्ब सरकारी जमीन के हस्तानान्तरण हेतु कार्रवाई की जानी है।

2.12 जहानाबाद जिला में विद्युत उपकेन्द्र के लिए सागरपुर ग्राम (मखदुमपुर) में सरकारी भूमि के हस्तानान्तरण हेतु ऊर्जा विभाग की सहमति के लिए प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भेजा गया है। इसे शीघ्र निष्पादित किया जाना है।

2.13 बरौनी थर्मल पावर प्लान्ट की निजी जमीन, जो पटना जिला में अवस्थित है, की धारा 7/17 का प्रस्ताव शीघ्र जारी किया जाना है। संबंधित राजस्व नक्शा आदि प्राप्त कर जिलाधिकारी, पटना द्वारा शीघ्र इसकी प्रक्रिया पूरी की जानी है।

2.14 उद्योग विभाग द्वारा चौसा (बक्सर जिला) के तीन गाँवों में उद्योग विभाग से संबंधित जमीन के लिए सहमति दी जा चुकी है। इस पर अग्रतर कार्रवाई की जानी है।

2.15 पीरपैंती प्रोजेक्ट (भागलपुर जिला) के सरकारी जमीन का प्रस्ताव जिला स्तर पर लम्बित है। इसे शीघ्र ही process किया जाना है।

2.16 पुसौली ग्रीड सब स्टेशन के लिए 7.82 एकड़ सरकारी जमीन को बोर्ड को हस्तानान्तरित करने की अधिसूचना दिनांक 06.06.2012 को जारी की जा चुकी है। इसके अलावे 5.75 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए जिलाधिकारी, कैमूर द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जानी है।

3. मीटरीकरण–

(i) ऐसे 11 के.वी. सरकारी उपभोक्ता, जहाँ मीटर नहीं लगा हुआ है, मीटरीकरण जुलाई, 2012 तक निश्चित रूप से पूरा कर दिया जाना है।

(ii) ऐसे एल.टी.सी.टी. उपभोक्ता जहाँ वर्त्तमान में मीटर नहीं लगा हुआ है, उनका मीटरीकरण जुलाई, 2012 तक किया जाना है। मीटरीकरण की प्रगति पर बोर्ड द्वारा निगरानी रखी जानी है।

(iii) तीन फेज एवं सिंगल फेज अमीटरीकृत उपभोक्ताओं का मीटरीकरण प्राथमिकता पर की जानी है।

(iv) 33 के.वी./11 के.वी. फीडर के सिस्टम मीटरिंग के लिए मीटर क्रय हेतु अविलम्ब कार्रवाई की जानी है तथा शेष सिस्टम मीटरों को लक्ष्यबद्ध ढ़ंग से दिसम्बर, 2012 तक लगाया जाना है।

(v) खराब मीटरों को तुरत बदलने के लिए पर्याप्त मीटर भंडार में उपलब्ध रहना चाहिए। मीटर क्रय के समय संख्या निर्धारण में इसका ध्यान रखा जाना है।

(vi) मीटर अधिष्ठापन के निविदा को शीघ्र finalise किया जाना है। जिन अंचलों के लिए re-tender करना पड़ा है, वहाँ भी टेण्डर की प्रक्रिया को पुनः शीघ्र पूरा किया जाना है। मार्च, 2013 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इनर्जी मीटर के क्रय एवं आपूर्त्ति के लिए समय सारणी बनायी जानी है। बोर्ड द्वारा इनर्जी मीटर के पर्याप्त भण्डार, ससमय आपूर्त्ति तथा मीटर अधिष्ठापन के लिए अपेक्षित निगरानी रखी जानी है।

4. बोर्ड द्वारा राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के विपत्र को बोर्ड के वेबसाईट www.bsebbills.org पर अद्यतन विपत्र हर माह के 14 तारीख तक उपलब्ध कराया जा रहा है। यह भी ख्याल रखा जाना है कि उपभोक्ताओं को विपत्र के बारे में सूचना मिलने के बाद निर्धारित समय मिलना चाहिए कि वे rebate का फायदा उठाते हुए विपत्र का भुगतान कर सकें।

5. पटना शहर का billing efficiency तथा collection efficiency बढ़ाने के लिए एवं AT&C loss घटाने के लिए महत्तम प्रयास किया जाना है।

6. आर–ए.पी.डी.आर.पी. के अन्तर्गत पार्ट–1 का कार्य फतुहा (Pilot Town) एवं पटना के अन्तर्गत प्राथमिकता पर पूरा करने के लिए संबंधित एजेन्सी पर दबाव बनाया जाना है। एजेन्सी द्वारा पर्याप्त resources mobilise किया जाना है ताकि बिहार के 71 शहरों के पार्ट–1 का कार्य जल्द पूरा किया जा सके। पटना के GIS सर्वे का कार्य प्राथमिकता पर संबंधित एजेन्सी द्वारा पूरा किया जाना है। GIS सर्वे के कार्य पर पर्याप्त निगरानी रखी जानी है।

7. पटना तथा मुजफ्फरपुर शहरों के लिए फ्रेन्चाईजी के निविदा को जल्द finalise किया जाना है तथा माननीय पटना उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय से मामले के शीघ्र निष्पादन का अनुरोध किया जाना चाहिए।

8. बोर्ड द्वारा बिहार के अन्य शहरों यथा गया, भागलपुर, दरभंगा आदि जहाँ बिजली की खपत ज्यादा है उसे भी चिन्हित कर शहरी फ्रेन्चाईजी के लिए process किया जाना है।

9. गया, भागलपुर, दरभंगा आदि शहरों के लिए फ्रेन्चाईजी संबंधी निविदा जुलाई, 2012 के अन्त तक निकाला जाना है।

10. बोर्ड के पुनर्गठन की प्रक्रिया को त्वरित किया जाना है। चार कम्पनियों के पंजीकरण के लिए वर्त्तमान प्रधान सचिव, ऊर्जा, श्री रविकांत को शेयर होल्डर घोषित करने के लिए अधिसूचना शीघ्र जारी की जानी है ताकि कम्पनी एक्ट के तहत पंजीयन का कार्य शीघ्र किया जा सके।

11. ट्रान्सफर स्कीम पर वित्त विभाग ने अपनी अभ्युक्ति दी है। Serving employees के लिए पुनर्गठन के पहले की सेवा के समानुपातिक पेंशन की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जानी है। पुनर्गठन के बाद नई कम्पनियों पर कोई देयता नहीं

(50

रहना चाहिए इसका विशेष ध्यान रखा जाना है। इस आशय का उल्लेख संलेख में किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा सेवा–निवृत्त एवं सेवारत कर्मचारियों के पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को भी finalise कर संलेख में शामिल किया जाना है। अविलम्ब संलेख तैयार कर वित्त विभाग को भेजा जाना है। साथ ही विधि विभाग को भी भेजा जाना है। संबंधित संलेख जून, 2012 के अन्तिम सप्ताह में मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

26/6

(नवीन कुमार)
मुख्य सचिव, बिहार

149

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्य-कलापों की समीक्षात्मक बैठक ।

दिनांक : 06/06/2012

उपस्थिति :-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री नवीन कुमार	मुख्य सचिव	
2	श्री ए0 के0 सिन्हा	विकास आयुक्त	
3	श्री सी0 अशोक वर्द्धन	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
4	श्री रामेश्वर सिंह	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	
5	श्री रविकांत	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग	
6	श्री हुकुम सिंह मीणा	सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन	
7	श्री पी0 के0 राय	अध्यक्ष, बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
8	डा0 राणा अवधेश	सदस्य (प्रशासन), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	06.06.2012
9	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता	सदस्य (वित्त एवं राजस्व), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
10	श्री ललन प्रसाद	सदस्य (उत्पादन), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
11	श्री टुन टुन झा	सदस्य (संचरण), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	6.6.2012
12	श्री शम्भु नाथ मिश्र	संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग	

148

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक–प्र02 / बोर्ड बैठक–24 / 2009 (खंड– I)......2611 /   पटना, दिनांक ...13/6/12

प्रतिलिपिः— विकास आयुक्त, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/6/12

सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र02 / बोर्ड बैठक–24 / 2009 (खंड– I)......2611 /   पटना, दिनांक 13/6/12

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/6/12

सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

13/6/12